सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 750 राँची, मंगलवार, 18 आश्विन, 1938 (श०)

10 अक्टूबर, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

6 अक्टूबर, 2017

संख्याः-5/न०वि० (SLAB)-06/2017-6298-- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम-23 (1) में उक्त अधिसूचना के निर्गत की तिथि से छह (6) माह की अवधि के भीतर शहरी स्थानीय निकायों के राज्यस्तरीय प्रशासी विभाग को यह दायित्व दिया गया है कि वह एक State Level Advisory Body (SLAB) का गठन करे, जो ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु नियम, नीति एवं कार्य योजना तैयार करने के साथ-साथ उक्त नियमावली के शीघ्र एवं सम्यक् कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को परामर्श देगी ।

2. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा वाद संख्या-199/2014, अलमित्रा एच० पटेल व अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 2 जनवरी, 2017 को पारित अंतिम आदेश में भी उक्त राज्यस्तरीय समिति को ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुश्रवण समिति के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

3. ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली, 2016 के अधीन गठित केन्द्रीय अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के अधीन State Level Advisory Body (SLAB) का गठन करने पर बल दिया गया है ।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य स्तर पर State Level Advisory Body (SLAB) का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-

1	अपर मुख्य सचिवसचिव/प्रधान सचिव/, नगर विकास एवं आवास विभाग	पदेन अध्यक्ष
2	पंचायत राज अथवा ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	पदेन सदस्य
3	राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
4	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
5	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य
6	भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
7	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
8	राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
10	राज्य के मुख्य नगर निवेशक	सदस्य
11	स्थानीय शहरी निकायों के 03 प्रतिनिधि (चक्रानुक्रम में)	सदस्य
12	जनगणना शहर (Census Town) अथवा शहरी संकुलन (Urban Agglomeration) के प्रतिनिधि (चक्रानुक्रम में)	सदस्य
13	प्रतिष्ठित गैर सरकारी अथवा सामाजिक संगठन, जो कचड़ा चुनने या अनौपचारिक पुनःचक्रण या ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत हो, के प्रतिनिधि।	सदस्य
14	राज्य अथवा केन्द्र स्तर पर उद्योगों का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था के प्रतिनिधि।	सदस्य
15	ठोस पुनःचक्रण उद्योग के प्रतिनिधि	सदस्य
16	विषयवस्तु के दो विशेषज्ञ	सदस्य
17	राज्य के कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग तथा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से क्रमशः एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य

5. उक्त State Level Advisory Body (SLAB) प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु नियम, नीति एवं कार्य योजना तैयार करने के साथ-साथ उक्त नियमावली के शीघ्र एवं सम्यक् कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को परामर्श देगी ।

स्लैब का परामर्श संबंधी प्रतिवेदन राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 750--100